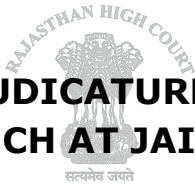


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11932/2026
CNR: RJHC020719122026 | URN: CRLMB / 21989U / 2026

1. Jumma Khan Son Of Shri Sampat Khan, Aged About 50 Years, Resident Of Village Khanpur, Mevan Police Station Kishangarhbas, District Khairthal Tijara (At Present Accused Petitioner Confined In Jail Khairthalbas Tijara)
2. Sabid Ali Son Of Shri Jumma Khan, Aged About 26 Years, Resident Of Village Khanpur, Mevan Police Station Kishangarhbas, District Khairthal Tijara (At Present Accused Petitioner Confined In Jail Khairthalbas, Tijara)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Jamasi
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/10/2026

प्रार्थना-पत्र 1/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना-पत्र इस प्रक्रम पर स्वीकार कर कार्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप दूर किया जाता है एवं आरोप-पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना किशनगढ़बास, जिला खैरथल-तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 260/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 4, 6, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्तगण पर यह आक्षेप है कि उन्होंने होटल मालिक, जिसके आधिपत्य से 80 किलो गौमांस बरामद होना बताया गया है, का परिचय किसी अनजान आदमी से करवाया था, जिसने उसे उक्त गौमांस विक्रय किया था। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी साबिद अस्वस्थ है और बीमार रहता है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्तगण दिनांक 02.07.2026 से अभिरक्षा में हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त साबिद के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्तगण पर होटल मालिक, जिसके आधिपत्य से 80 किलो गौमांस बरामद हुआ है, को उपलब्ध करवाया था, जो गंभीर अपराध है। उनका तर्क है कि प्रार्थी जुम्मा के विरुद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण संस्थित है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्तगण पर आक्षेप है कि उन्होंने होटल मालिक, जिसके आधिपत्य से 80 किलो गौमांस बरामद हुआ है, को अनजान व्यक्ति से मिलवाया था और वो ही होटल मालिक को गौमांस उपलब्ध करवाता था। प्रार्थीगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना नहीं बताया गया है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थीगण दिनांक 02.07.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व का इसी प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा कार्यवाही में समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्तगण इस

मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक-एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

32/NIMIT GOYAL